27/8/20

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी जिला बाडमेर

वादीगण :–

1. बाबू पुत्र सुगा उम्र 40 वर्ष
2. दिनेश पुत्र सुगा उम्र 36 वर्ष
3. भंवरा पुत्र सुगा उम्र 25 वर्ष
4. देवू पत्नि सुगा उम्र 60 वर्ष
   जाति गुरड़ा निवासी लुणवा जांगीर
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
5. लसमणराम पुत्र चौथाराम उम्र 30 वर्ष जाति जीनगर निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गणेशाराम पुत्र सांवलाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1. देशुदेवी पत्नि गणेशाराम उम्र 47 वर्ष
   1/2. उतमचंद पुत्र गणेशाराम उम्र 25 वर्ष
   1/3 जितेन्द्र पुत्र गणेशाराम उम्र 23 वर्ष
   1/4. कांतिलाल पुत्र गणेशाराम उम्र 21 वर्ष
   जाति जीनगर निवासी सणपा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
2. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
3. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते बंटवाडा व [illegible]ने स्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

वादीगण का वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :–

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा

कुल रकबा 06.12 बीघा का आया है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।

2. कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विवादित भूमि में वादीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा वादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी हिस्सों के माफिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणी व कब्जा काश्त चला आ रहा है।

3. कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में हिस्से उपरोक्तानुसार पूर्ण रूप से खुल्ले हुए है परन्तु खेत के मौके पर हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 वादीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहा है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहा है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। इस तथ्य को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिये वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती भूमि में से अपने हिस्से की भूमि अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाना चाहते है इसलिये अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग करवाना चाहते है जिस हेतु यह बंटवाडे का वाद पेश है।

4. कि प्रतिवादी संख्या 1 सामलाती भूमि का बेचान करने पर आमादा है जबकि भूमि का विधिवत रूप [illegible] होने के कारण सामलाती भूमि को प्रतिवादी बेचान करने के [illegible] नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार [illegible] हिस्सा होता है तथा प्रतिवादी संयुक्त भूमि का बेचान कर [illegible]गण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करवाने पर आमादा है तथा साथ ही वादीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बटवाडे अनुसार कायम सेढे को तोड़कर वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदंखल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मौके की स्थिति भारी रद्दोबदल करने पर आमादा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested

ऐसे में वादीगण को यह अधिकार है कि वह प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रतिवादी को वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप एवं बाधा उत्पन्न करने से रोकें तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार निर्माण व हस्तक्षेप आदि नहीं करें तथा जब तक भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं होता है तब तक प्रतिवादी किसी प्रकार का बेचान आदि न करें। जिस हेतु यह वाद वास्ते पाने स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

5. कि विनायदावा जब विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से नाम दर्ज हुई तब, एवं अरसा एक माह से प्रतिवादी द्वारा भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने की धमकियां दी जाने लगी तथा वादीगण को अपने हिस्से बेदखल करने पर उतारू हुये तब तब मुकाम लुणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में पैदा हुआ।

6. कि प्रतिवादी संख्या 2 के यहां भूमि रहन होने से तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमिपति राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार गुडामालानी को बंटवारे के वाद में औपचारिक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। इनके विरुद्ध कोई सारवान अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिये विधिक नोटिस नहीं दिया गया है।

7. कि प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम फौत हो चुका है परन्तु अभी तक गणेशाराम की फौतगी का म्यूटेशन पारित नहीं किया गया है जिस कारण गणेशाराम के कायम मुकामों को पक्षकार बनाया गया है।

8. कि विवादित भूमि ग्राम लुणवा जांगीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में स्थित होने से यह वाद श्रीमान के न्यायालय का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

9. कि राजस्व वाद अन्त[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत होने से नियमानु[illegible] वा[illegible]र 2/– रूपये का मुद्रांक न्याय शुल्क के रूप में [illegible]

10. अतः वादीगण की प्रार्थना है कि वादी[illegible] पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्नांकित आशय की डिक्री मय [illegible]य पारित की जावें :–

1. कि वादग्रस्त भूमि मौजा लुणवा जांगीर पटवार क्षेत्र लुणवा जांगीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 429 रकबा 05.16 बीघा, खसरा नम्बर 651 रकबा 16 बिस्वा कुल रकबा 06.12 बीघा में

दिनेश । अमराराम लालमनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा की भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्ड शेष प्रतिवादी संख्या 1 से बंटवाड़ा कर राजस्व रिकार्ड में अलग से वादीगण के नाम इन्द्राज की जावें।

2. कि स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कोई हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा न तो स्वयं कारित करें व न ही अन्य से कारित करावें व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
3. कि वाद का समस्त व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।
4. कि अन्य कोई अनुतोष जो वाद विचारण के दौरान वादीगण के पक्ष में उत्पन्न हो वो वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

इति दिनांक : 20/8/20

लखमणाराम

सत्यापन :– मैं लसमणराम पुत्र चौथाराम उम्र 30 वर्ष जाति जीनगर निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर यह सत्यापित करती हूँ कि वाद पत्र के पद संख्या 1 से 9 तक के तथ्य व विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य अंकित करवाये है तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं है तथा नही कोई गलत अंकित करवाया है।

इति दिनांक : 20/8/20

लखमणाराम

अमराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested

(पेनाउ ... [illegible]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

29/01/21 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण को मय अधिवक्ता कोई साल से तीन बार तीन-तीन आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित आए। इसका कारण प्रकरण वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested